Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपीडी/टीए/5284/2004/दौसा
2. अपीडी/टीए/5285/2004/दौसा

1 रामसहाय पुत्र धनपाल (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 घासी पुत्र रामसहाय
1/2 गुडडी पुत्री रामसहाय
1/3 जनता पुत्री रामसहाय
1/4 सुनिता पुत्री रामसहाय
1/5 हरली पत्नी रामसहाय
2 लाला पुत्र धनपाल
3 सुन्दर पुत्र धनपाल
4 लटूर पुत्र धनपाल
5 छुट्टन पुत्र धनपाल
6 प्रभात पुत्र धनपाल
7 मु0 रामली पुत्री धनपाल
8 लाली पुत्री धनपाल समस्त जाति कोलियान निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील महुवा जिला दौसा

अपीलार्थीगण

बनाम

1 गिर्राज पुत्र काल्या (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 लिच्छो बेवा गिर्राज
1/2 नानकराम पुत्र गिर्राज
1/3 मोसन पुत्र गिर्राज
1/4 महेश पुत्र गिर्राज
1/5 प्रेम पुत्र गिर्राज
1/6 सुखबाई पुत्री गिर्राज
2 रामनाथ पुत्र गोरधन
3 हीरालाल पुत्र गोरधन
4 रामकरण पुत्र बुद्धा
5 जमना बेवा बुद्धा समस्त जाति कोलियान निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील महुवा
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महुवा जिला दौसा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

1.अपीडी/टीए/5284/2004/दौसा
2.अपीडी/टीए/5285/2004/दौसा

उपस्थितः
श्री हगामीलाल चौधरी वकील अपीलार्थीगण की ओर से।
श्री अयूब खांन वकील प्रत्यर्थी 1 के वारिसान की ओर से।
प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः.5.4.18

उक्त दोनों द्वितीय अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 85/2003 तथा 86/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित आराजीयात, पक्षकार, विवाद की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक ही होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 मृतक गिर्राज द्वारा सहायक कलक्टर, महवा के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत बाबत तकासमा अराजीयात प्रतिवादी अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गढ हिम्मतसिंह स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 155 एवं 156 कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा आराजीयात में वादी का 3/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण बाहमी तौर पर अरसा करीब 20–25 वर्ष पूर्व से ही आपसी मन सम्हाई से बांट रखी है एवं काबिज है। परन्तु अब आपस में झगडा होता है। अतः विवादित आराजीयात का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवारा किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29. 9.95 को वाद को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की एवं कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 30.5.97 को वाद में अन्तिम डिक्री पारित की। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.11.97 से प्राथमिक डिक्री तक तो दोनों पक्षो को आपति नही है, के अंकन के साथ अपील को

आंशिक रूप से स्वीकार कर अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध में प्रकरण निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 8.2.99 को नायब तहसीलदार, महवा को विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश देकर पुनः निर्णय दिनांक 25.4.2000 से वाद में अन्तिम डिक्री पारित की। प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.4.2000 के विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री शीर्षक से दो प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1. 10.2004 से दोनों अपीले खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने उक्त दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त कानूनी स्थिति पर गौर नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत है। मौके पर खसरा नम्बर 757 में अपीलार्थीकी बोरिंग एवं बिजली का कनेक्शन पूर्वजों के समय से है, खसरा नम्बर 758 में रामसहाय अपीलार्थी के खाम मकान 3ग पाटोल बना रखे हैं। खसरा नम्बर 750/1010 में अपीलार्थी का पुख्ता मकान व कोठी निर्माण की हुई है। जिससे उक्त खसरा नम्बर 750/1010 अपीलार्थी के हिस्से में दिया जाना चाहिये था। बंटवारा हेतु बने बोर्ड आफ रेवेन्यु रूल्स के नियम 18 से 21 की कतई पालना नहीं की गई है जबकि इसकी पालना की जाना आवश्यक है। अतः अपीले स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 के वारिसान ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री विधिक प्रावधानों की पालना कर राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से के अनुसार पारित की गई है। हिस्सा कस्सी में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा नहीं बताया गया है जिससे प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 के वारिसान ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में कुरेजात रिपोर्ट दोनों पक्षो की उपस्थिति में बनाकर प्रस्तुत किये गये हैं। स्वंय विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया है एवं मौके की स्थिति के अनुसार कुरेजात बनाकर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की है। अपीलार्थी द्वारा असत्य आधारों पर यह अपील

प्रस्तुत की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सो के अनुसार वाद में दिनांक 29.9.95 को प्राथमिक डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.97 में अंकित किया है कि प्राथमिक डिक्री तक पक्षो को आपति नहीं है तथा अंतिम डिक्री के संदर्भ में निर्देश दिया कि पुनः सुनकर निर्णय करें ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 29.11.97 के उक्त आदेश द्वारा चुनौति के अभाव में अन्तिम हो गया। प्रकरण पुनः प्राप्त होने पर कुरेजात बनाकर दिनांक 25.4.2000 को प्रकरण अन्तिम डिक्री के रूप में निर्देश आदेश के पश्चात निस्तारित हुआ। यद्यपि प्रथम अपीलीय न्यायालय व यहां द्वितीय अपील में प्राथमिक डिक्री की भी अपील दिनांक 25.4.2000 के आदेश को चुनौति के रूप में की गई है किन्तु प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में दिनांक 29.11.97 के आदेश को चुनौति के अभाव में पुनर्विचार की स्थिति नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

9. कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 25.4.2000 से वाद में अन्तिम डिक्री पारित की है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा ने प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को निर्णय दिनांक 1.10. 2004 से खारिज करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है।

10. जहां तक अन्तिम डिक्री दिनांक 25.4.2000 का प्रश्न है, इस संबंध में विचारण न्यायालय ने स्वंय ने मौका निरीक्षण किया जाना अपने निर्णय में अंकित किया है परन्तु पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की हो। पर्चा मौका दिनांक 12.4.2000 का पत्रावली पर सलंग्न है जो किस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें तहसीलदार महवा व भू अभिलेख निरीक्षण के साथ उभयपक्ष की उपस्थिति अवश्य अंकित है परन्तु इनके किसी के भी हस्ताक्षर इस पर्चा मौका पर नहीं है तथा किसी ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो, ऐसा भी अंकन इसमें नहीं है। इस पर्चा मौका के आधार पर कोई कुरेजात रिपोर्ट तयार की गई, वह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

11. बंटवारे की अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यु) रूल्स, 1955 बने हुए हैं, जिनके नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित की जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहिये। वर्तमान प्रकरण में उक्त नियमों की पालना की जाना स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अन्तिम डिक्री का समर्थन नहीं कर सकते। प्रकरण में उक्त नियम 18 से 21 की पालना कर दोनों पक्षो की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार, महवा द्वारा तैयार की जाकर अन्तिम डिक्री पारित किया जाना अपेक्षित रहने से हम प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.4.2000 के शीर्षक से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है एवं इस संबंध में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 86/2003 में पारित निर्णय को उपरोक्तानुसार सारतः व निष्कर्षतः यथावत रखा जाता है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 85/2003 में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2004 तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 25.4.2000 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) महवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बंटवारा हेतु बने नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कर दोनों पक्षो की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार से तैयार कराकर प्राप्त कर दोनों पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। प्रकरण पुराना है अस्तु प्रकरण में यथाशक्य शीघ्र अंतिम निर्णय पारित करें।

13. दोनों पक्षो को निर्देश दिये जाते हैं कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्टर) महवा के समक्ष दिनांक 4.5.2018 को उपस्थित रहें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष